दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 26-08-2025

दुकानों और ई-कॉमर्स साइट्स से चाकू की बिक्री पर हाई कोर्ट ने कहा - स्थिति बेहद चिंताजनक

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

प्रतिबंधित चाकुओं की ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री को लेकर हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच कहा आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 से अब तक हजारों मामले आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। वर्ष 2024 में ही 1399 केस दर्ज हुए। यह स्थिति बेहद चिंताजनक हैं। हाई कोर्ट ने दैनिक भास्कर में शहर की दुकानों के साथ ही ई कॉमर्स साइट्स के जरिए चाकुओं की खुलेआम बिक्री को लेकर प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए गृह सचिव से शपथ पत्र मांगा था। सोमवार को पेश रिपोर्ट में बताया गया कि 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 225 मामले दर्ज हुए। इसी तरह 2024 में 226 और 2025 में अब तक 32 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में बड़ी संख्या में चाकू और धारदार हथियार जब्त किए गए। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स साइट्स के जरिए चाकू की बिक्री तुरंत रोकी जाए, अन्यथा हालात और बिगड़ेंगे। साथ ही, दुकानों पर भी खुलेआम बिक्री पर नियंत्रण जरूरी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सितंबर तक नया हलफनामा देने के निर्देश दिए हैं। बताने को कहा गया कि प्रतिबंधित चाकुओं की बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।